मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-3-13/91/3/1 भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 1991

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः—चतुर्थ श्रेणी एवं दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों से बेगार न लेने के संबंध में।

संदर्भः—सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्र. 633/1893/1/3, दिनांक 10-9-75 एवं का. प्र. सु. एवं प्रशि. वि. का ज्ञापन क्र. सी-3-30/88/3/49, दिनांक 1-2-89.

विषयान्तर्गत उपर्युक्त ज्ञापनों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी एवं दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों से बेगार न लिए जाने संबंधी निर्देश प्रसारित किए गए हैं। इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी शासन के ध्यान में आया है कि अभी भी अधिकारियों द्वारा दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से निजी कार्य लिया जाता है, जो उचित नहीं है।

2. निर्देशानुसार समस्त विभागों का ध्यान-इस संबंध में, पुनः पूर्व में जारी किए गए संदर्भित आदेशों की ओर आकर्षित कर निवेदन किया जाता है कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

हस्ता/-
(एम. एस. सिन्हा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. एफ. क्र. सी-3-13/91/3/1 भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 1991

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मंडल, म. प्र., भोपाल।

---

2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल,
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल।

---

3. मुख्यमंत्री जी/ समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक।

4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।

5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. सचिवालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

---

6. अध्यक्ष, व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल।

7. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं महाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर।

8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

हस्ता/-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
म. प्र. शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग